

बुनकरों की आर्थिक स्थिति एवं सरकारी योजनायें

Rakesh Pratap

Research Scholar ,Department . Of Anthropology

MGAHV (PO) Manas Mandir, Panchteela

Wardha Maharashtra-442001

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र मेरे शोध क्षेत्र गोरखपुर के बुनकरों पर आधारित है जिसमें मैंने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वन पर प्रकाश डाला है। सरकारी उपेक्षा के चलते बुनकर आज बदहाली के कगार पर पहुंच चुके हैं। केंद्र व राज्य सरकार ने तो बुनकरों के उत्थान के लिए कई योजनाएं बनाईं लेकिन यहां योजनाएं सिर्फ फाइलों में सिमट कर रह गई हैं। ज्यादातर बुनकरों का मानना है कि सरकारों ने उन्हें बार बार लालच देकर पेशा बदलने नहीं दिया वरना आज उनकी यह हालत न होती। इसके विपरीत जिन लोगों ने बरसों पहले इस बुनकरों के हुनर को अलविदा कह दिया वे आज बहुत खुशहाल हैं।

शब्द कोष – हालत, उपेक्षा, सिमट

प्रस्तावना

रोजगार की उपलब्धता किसी भी व्यक्ति विशेष और उसके परिवार को क्रय शक्ति मुहैया कराने के साथ-साथ बुनियादी आवश्यकताओं और आराम और मनोरंजन की जरूरतों के लिए संसाधनों को एकत्र करने तथा उनका उपयोग करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा रोजगार के जरिए आमदनी में बढ़ोतरी निवेश की इजाजत भी

प्रदान करता है। भले ही उसका रूप कुछ भी हो। निवेश टिकाऊवस्तु में भी हो सकता है और शिक्षा, स्वास्थ्य और पूंजी के क्षेत्र में भी। हालांकि ऐसे निवेश से भविष्य की आय को बढ़ा पाना काफी जटिल है और इस वजह से व्यक्ति विशेष के साथ-साथ अर्थव्यवस्था की भी बढ़ोतरी को बरकरार रख पाना मुश्किल है। जबकि योग्यता में वृद्धि की वजह से मिलने वाले

आर्थिक लाभ महत्वपूर्ण होते हैं और रोजगार में भी गैर-आर्थिक लाभ काफी महत्वपूर्ण हैं। ऐसी मान्यता है कि उचित गतिविधियों में किसी की संलिप्तता उसे सम्मान और अच्छा कर्मचारी होने की भावना देता है।

भौतिक संसाधन (खासकर भूमि) और मानवीय पूंजी (खासकर शिक्षा) न सिर्फ रोजगार के अवसर को प्रभावित करते हैं बल्कि व्यवसाय या कामकाज के तौर-तरीकों को भी निर्धारित करते हैं। इन संसाधनों की अपेक्षाकृत कम उपलब्धताएँ कर्मचारियों या कामगारों को श्रम बाजार की पंक्ति में निचले छोर पर बने रहने को मजबूर कर सकती है।

इस्लाम में पेशाएवं बुनकर -

इस्लाम में पेशे की भी कोई वास्तविकता नहीं दी गई है पेशेके कारण कोई छोटा-बड़ा नहीं हो सकता। कोई पेशा संसार में देखने में कितना ही तुच्छ और अपमान जनक समझा जाता हो लेकिन यदि उनका सम्बन्ध पाप से नहीं है तो वह इस्लाम की नजरों में जायज और हलाल है।

उसके कारण किसी को अपमानित या निम्न स्तरका नहीं समझा जा सकता।

इस्लाम कारोबार या पेशे को किसी एक जाति पर लागू नहीं करता। इस्लाम में चाहे कोई सैन्यद हो या शेखए मुगल हो या पठानए आलिम हो या बेपढ़ाए किसी कुल या गोत्र से सम्बन्ध रखता हो हर प्रकार का जायज पेशा कर सकता है और एक मोची यदि विद्वान और सदाचारी हो तो वह तमान (धर्मगुरु) बन सकता है। हिन्दू धर्म में एक चमार यदि सैंकड़ों हजारों वर्ष से चमार चला आ रहा हो वह धर्म के अनुसार सदैव के लिए चमार ही बने रहने पर बाध्य होगा। परन्तु इस्लाम में ऐसा कोई बन्धन नहीं है। इस्लाम का चमार बहुत शीघ्र उन्नति करके चमड़े का व्योपारी और फिर जनरल मर्चन्ट बन सकता है और उसे धर्मानुसार यह अधिकार प्राप्त है कि वह जब चाहे तब उस पेशे को छोड़ दे और दूसरा पेशा इच्छित्यार कर लें या चाहे तो धर्म प्रचार करने लगे।

आज बहुत से लोग जिन पेशों को तुच्छ और अपमानजनक समझते हैं उन पेशों को बहुत

से इस्लामी गुरुओं और इमामों ने किया है और उनके इन पेशों के कारण किसी मुसलमान की निगाह में उनकी थोड़ी भी बेकदरी नहीं हुईए न कभी हो सकती हैए न उनके ज्ञान और उनकी बुद्धि को उससे कुछ हानि पहुंचीए न उनकी नस्ल और नसब (कुल और गोत्र) में कोई बट्टा लगा और न उनके सदाचार और सद्विचार पर कोई बुरा असर पड़ा। आज तक उनका पूर्ण आदर-मान किया गया और हमेशा किया जाता रहेगा। खास बात तो यह है कि स्वयं पैगम्बर-इस्लाम ने व्यापार किया।

हजरत आदम और हजरत इब्राहीम ने खेती कीए हजरत शीसए हजरत इदरीसए हजरत अय्यूब अंसारीए हजरत अशअसए हजरत इमाम अबूहनीफा हजरत इमाम हजरत शेख बहाउद्दीन नक़्शबन्दी आदि इमामों ने जुलाहों का पेशा किया और कपड़ा बुना। हजरत इमाम अबू बक मोची का पेशा करते थे। हजरत अबूस्वालेह घोंसी का पेशा करते थे। इमाम इब्ने जौजी तांबे का व्यापार करते थे। हजरत अब्दुल्ला (इब्ने मुबारक) जैतूनए अखरोट और चिलगोज़ा बेचा

करते थे। अबू सईद बढई का काम करते थे। इब्ने ताहिर लोहारीका काम और अबुलफज्जल (दमिश्की) किताब का काम करते थे। इसी तरह असंख्य धर्म-गुरुओं ने भिन्न-भिन्न पेशे किये। यह वह विद्वान हैं जिनके ज्ञान और बुद्धि और विद्या का डंका आज न केवल इस्लामी संसार बल्कि सारे योरोपए अमेरिका और कुल सभ्य और पढ़े-लिखे संसार में बज रहा है। इन कुछ उदाहरणों ही से मालूम हो जायगा कि इस्लाम ने पेशेको बड़ाई की निगाह से देखा ही नहीं और पेशे के मामले में किसी वर्ग या जाति आदि की कोई पाबन्दी नहीं रखी।

आर्थिक एवं सामाजिक-

बुनकरों का मुख्य: कार्य व्यवसाय है ये लोग मुख्यतः हथकरघा एवं पावरलूम के कार्यों में लिप्त होकर अपनी आजिविका चलाते हैं। हाँलाकि शोध के दौरान मैंने यह पाया कि ये लोग अपने व्यवसाय से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि जितनी मेहनत करते हैं उसके एवज में इनकी कमाई नहीं हो पाती है। इनको कोई सरकारी सहायता भी नहीं मिल पा रही है। इनके

द्वारा बनाये गये कपड़ों को व्यापारी कम कीमत में खरीद कर उसको बाजार में ऊँचे दामों पर बेचते हैं जिससे उचित कीमत बुनकरों को है इसके कारण आर्थिक गतिविधियों को लेकर आक्रोश भी है। हैंडलूम से पावर लूम में बदलने के लिए इन्हें कर्ज लेना पड़ता है जिससे कि उन पर अत्यधिक आर्थिक भार (कर्ज) पड़ता है। सरकार की तमाम योजनाएँ विफल दिख रही हैं।

गोरखपुर जिले में फ्लॉप साबित हो रही बुनकर क्रेडिट कोर्ड योजना बैंकों का चक्कर काटने में जेबटीली हो रही है, एक भी बुनकर को लोन नहीं मिलता है। हथकरघा उद्योग के विकास के लिए शुरू की गई बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ गोरखपुर के बुनकरों को नहीं मिल पा रहा है। जिले के विभिन्न बैंकों में 14 सौ से अधिक फार्म जमा किए गए हैं। 224 बुनकरों का क्रेडिट कार्ड भी बना दिया गया लेकिन एक भी आवेदन को लोन और सब्सिडी नहीं मिली। क्रेडिट कार्ड के लिए औपचारिकताएं पूरी करने और बैंकों का चक्कर कटाने में बुनकरों की जेब भी टीली हो रही है।

बुनकरों के उत्थान के लिए केन्द्र सरकार ने बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। इससे उम्मीद थी कि हथकरघा चलाने वाले या हथकरघा के जरूरतमंद बुनकरों को आसानी से संसाधन और पूँजी मिलेगा। बुनकरों ने हथकरघा विभाग के जरिए आवेदन किया मगर उन्हें बैंकों में तवज्जो नहीं मिली।

योजना के अन्तर्गत 21 हजार से दो लाख रूपए तक का लोन लिया जा सकता है। इससे सभी आवेदकों को नाबार्ड की ओर से 42 सौ रूपए सब्सिडी और ब्याज में तीन फीसदी की छूट मिलनी है। बीते अगस्त तक गोरखपुर जिले में 14 सौ 44 बुनकरों ने आवेदन किया है। बुनकर नेता एवं बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना के आवेदक कमरुज्जमा अंसारी वसाहेब आलमए सुमेर हसनए अकील अहमद ने बजाया कि एक साल से फार्म भर जा रहे हैं। 26 से अधिक फार्म भरे गए थे। हथकरघा विभाग ने करीब 15 सौ फार्म को सही माना है। लेकिन बैंकों से अभी लोन नहीं मिल रहा है। हालांकि पड़ोसी जिला

संतकबीरनगर में करीब 250 बुनकरों के लिए 24 लाख 50 हजार रूपए लोन जारी हो चुका है।

सरकार द्वारा बुनकरों के लिये संचालित योजनाओं का विवरण एवं मूल्यांकन---

1. अंबेडकर पावरलूम विकास योजना

2006 में लागू की गई इस योजना के तहत बुनकरों को पावरलूम लगाने के लिए पचास फीसदी अनुदान दिया जाना था। इसके लिए 68 बुनकरों का चयन भी हुआ था और चयनित बुनकरों का नाम बैंकों को भेजा गया था, लेकिन सात साल बीत जाने के बावजूद किसी भी बुनकर को अनुदान नहीं मिला।

2. पावरलूम प्रोत्साहन विकास योजना

पावरलूम प्रोत्साहन योजना 2007 में आई थी। इसमें कमेटी बनाकर 131 बुनकरों का चयन किया गया था। चयनित बुनकरों के मकानों का सर्वे भी हुआ। इसमें पावरलूम खरीदने के लिए 50 फीसदी की छूट और आवास के लिए 45 हजार रुपये प्रत्येक बुनकरों को देने

की बात कही गई थी लेकिन आज तक किसी बुनकर को इस योजना का लाभ नहीं मिला।

3. हेल्थ कार्ड योजना-वर्ष 2007.08 एवं वर्ष

2008.09 हेतु आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि० के सहयोग से 23.10.2007 को हेल्थ इन्श्योरेन्स योजना लागू की गयी है। जिसका कुल वार्षिक प्रीमियम रू० 781७60 है। जिसमें प्रति बुनकर रू० 139७13 एवं भारत सरकार का अंश रू० 642७47 है। यह योजना केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। भारत सरकार अपने अंश की धनराशि सीधे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि० को अवमुक्त करेगी। योजनान्तर्गत बुनकर बुनकर की पत्नी एवं दो बच्चों को स्वास्थ्य लाभ प्रति बुनकर परिवार 15000७00 रु. धनराशि का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन अध्ययन इस योजना के

- एक भी लाभार्थी नहीं मिला जबकि यहाँ अध्ययन निदर्शन द्वारा १००० परिवार में किया गया है।
4. आवेदन की प्रक्रिया –बुनकर हेल्थ कार्डए बुनकर पहचानपत्रए सूत पासबुकए राशन कार्ड में बुनकर शब्द अंकित हो या हथकरघा अधिकारी से जारी प्रमाणपत्र। इनमें से कोई एक प्रमाणपत्र के साथ आवेदन प्रस्तुत करने पर हथकरघा अधिकारी आवेदन को बैंक में जमा करते हैं। बैंक अपनी जांच पड़ताल के बाद क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं। बैंक अगर क्रेडिट कार्ड के स्वीकृत आवेदन की

रिपोर्ट नाबार्ड में भेज दें तो सब्सिडी अग्रिम मिल जाएगी।

5. बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना- 1996 में जब केंद्र में भाजपा की सरकार थी तब केंद्रीय कपड़ा मंत्रीशहनवाजहुसैन गोरखपुर दौर पर आए थे। बुनकरों के घर जाकरमंत्रीशहनवाज हुसैन ने कहा था कि किसानों की तर्ज पर बुनकरों को भी कर्ज दिया जाएगा। इसके लिए बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना बनाई गई हैं। इस योजना के तहत चार हजार बुनकरों का चयन भी किया गया था लेकिन शहनवाज हुसैन के बाद योजना ठंडे बस्ते में चली गई।

बैंक	लम्बित फार्म	जारी हुए कार्ड
ओबीसी, गोरखनाथ	154	16
केनरा बैंक, गोरखनाथ	247	-
बैंक ऑफ इण्डिया गोरखनाथ	-	46
सेन्ट्रल बैंक गोरखनाथ	188	56
इलाहाबाद बैंक, गोरखनाथ	246	80
पीएनबी, गोरखनाथ	115	-
यूनियन बैंक, गोरखनाथ	270	25
एसबीआई, गोरखनाथ	-	1

वादों के झांसे से बुनकर बदहाल

सरकारी उपेक्षा के चलते बुनकर आज बदहाली के कगार पर पहुंच चुके हैं। केंद्र व राज्य सरकार ने तो बुनकरों के उत्थान के लिए कई योजनाएं बनाई लेकिन यहां योजनाएं सिर्फ फाइलों में सिमट कर रह गई हैं। ज्यादातर बुनकरों का मानना है कि सरकारों ने उन्हें बार बार लालच देकर पेशा बदलने नहीं दिया वरना आज उनकी यह हालत न होती। इसके विपरीत जिन लोगों ने बरसों पहले इस बुनकरों के हुनर को अलविदा कह दिया वे आज बहुत खुशहाल हैं। अपना

पुश्तैनी पेशा छोड़ चुके रसूलपुर निवासी नबीउल्लाह अंसारी आज वार्ड 55 के पार्षद हैं। रिजवान अंसारी ने कपड़े की दुकान और समीउल्लाह अंसारी बुनाई का काम छोड़कर चाय की दुकान चलाते हैं। करीब पचास फीसदी लोगों ने धीरे धीरे पुश्तैनी कारोबार से तौबा कर लिया है।

रोजगार अवसर और स्थितियों को सुधारना

आजकल देश तेजी से विकास कर रहा है। यह समय है अल्पविकसित लोगों को नये

अवसरों का उपयोग करने में कुशलता के विकास और शिक्षा के माध्यम से मदद की जाए। यहां भेदभाव के आरोप-प्रत्यारोप की बात नहीं पर इस बात की आवश्यकता है कि बोर्ड या पैनल के साक्षात्कार कार्यक्रम में समुदाय से जुड़े विशेषज्ञों की सहभागिता हो। मुस्लिम समुदाय का बड़ा हिस्सा स्वरोजगार गतिविधियों में संलग्न है। जहां कुछ कामगार ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हैं जिनका विकास हुआ है बहुत से ऐसे रोजगार से जुड़े हैं जिनका विकास थमा है। इन क्षेत्रों में फंसे लोगों के लिए बदलाव का रास्ता विकसित किया जाना चाहिए। पहले बताए गए कुशलता नवीनीकरण शिक्षा और कर्ज की आसान उपलब्धता इन दोनों रणनीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम के 85 प्रतिशत (ओ.बी.सी.) लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनमें 90 प्रतिशत बेघर-बेजमीन हैं इनमें साक्षरता की दर बड़ी मुश्किल से 5-40 प्रतिशत है। अपनी रोजी रोटी के

लिए ये हर वह काम करने के लिए मजबूर हैं जो कि केवल दलित किया करते थे। उदाहरण के तौर पर नाला-पाखना साफ करना झाड़ू देना झाड़वरी करना, रिक्शा ठेला चलाना पंक्कर बनाना मोचरीगीरी पासीगीरी बर्तनों और कपड़े की फेरी लगाना सब्जी मीट मछली अंडे मुर्गी बेचना धुनाई बुनाई सिलाई धुलाई और रंगाई करना चमड़े के जूते-चप्पल बैग और पर्स बनाना यहां तक कि भीख मांगने में इनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है।

संक्षेप में सभी के साथ तुलना करने पर ऐसा पाया जाता है कि ज्यादातर मुस्लिम कामगार स्वरोजगार निर्माण तथा व्यापार संबंधी गतिविधियों में लगे हुए हैं। नियमित वेतनभोगी नौकरियों में इनकी हिस्सेदारी खासकर सरकारी अथवा बड़े सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में बहुत ही कम है। इनकी हिस्सेदारी असंगठित क्षेत्रों में ज्यादा है जहां कार्य परिस्थिति अच्छी नहीं है। व्यापक स्तर पर यदि हम देखें तो ओ.बी.सी. मुस्लिमों के लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था रोजगार की अवस्था में

सुधार के साथ-साथ आर्थिक स्थिति में सुधार से संबंधित प्रयासों की आवश्यकता है।

सन्दर्भ सूची-

- [1] रहमानए मोहम्मद तैमुरऔर अनिल भूइमाली, (2011)द्वए भारतीय मुसलमानों और उनकी आर्थिकए दिल्ली: अभिजीत प्रकाशन
- [2] भारत की जनगणना, 2001, भारत सरकारए नई दिल्ली
- [3]कुमार, विजय (2011) भारत में अन्य पिछड़ा वर्गए नई दिल्ली की स्थिति: अल्फा प्रकाशन

[4] कुप्पुस्वामी,बी. (1984), भारत में सामाजिक परिवर्तनए गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश): विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा. लिमिटेड

[5] विकिपीडिया: मुफ्त विश्वकोशए "अन्य पिछड़ा वर्ग"ऑनलाइन पर उपलब्ध: http://en.wikipedia.org/wiki/Other_Backward_Class

[6],हिन्दुस्तानमई 2012

[7]राष्ट्रीय सहारा दिसंबर 2010